



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 127-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 27, 2018 (SRAVANA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2018

संख्या 65/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“11	निगमित निकाय, भागीदारी या परिसीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न व्यक्तिगत प्रत्यक्ष बिक्री अभिकर्ता द्वारा बैंकों या गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं	निगमित निकाय, भागीदारी या परिसीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न व्यक्तिगत प्रत्यक्ष बिक्री अभिकर्ता	ऐसी बैंकिंग कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कराधेय क्षेत्र में अवस्थित हो।”;

(ii) व्याख्या में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(छ) “अचल सम्पत्ति किराए पर देना” से अभिप्राय है, अचल सम्पत्ति का कब्जा या नियन्त्रण के अन्तर्गत के साथ या के बिना अचल सम्पत्ति में, पूर्णतः या भागतः, में पहुँच, प्रवेश, अधिभोग, उपयोग या किसी ऐसी सुविधा को अनुमत करना, स्वीकृत करना या प्रदान करना और इसमें अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसे किराए पर देना, पट्टे पर देना, अनुक्षिप्त देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना भी शामिल है।’

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2018

No. 65/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(i) In the Table, after serial number 10 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“11	Services supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to banks or Non-Banking Financial Company (NBFCs)	Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm	A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable territory.”;

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(g) “renting of immovable property” means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.’.

SANJEEV KAUSHAL,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Excise and Taxation Department.